भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2447

उत्तर देने की तारीख : 10/12/2024

दिव्यांगजनों के अधिकार

2447. श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की पात्रता का निर्धारण करने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में;

(ग) क्या सरकार का शिक्षकों की भर्ती हेतु राष्ट्रीय वाक् और श्रवण संस्थान (एनआईएसएच) से प्राप्त योग्यता को अर्हता के रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ख): भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) की स्थापना भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और मॉनिटर करना, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्ट्रार (सीआरआर) में इसे बनाए रखना और दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

(ग) से (घ): आरसीआई ने पुनर्वास पेशेवरों/कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन विकास के तहत 16 श्रेणियों में पाठ्यक्रम को मानकीकृत किया है। आरसीआई ने शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख करते हुए "मॉडल भर्ती नियम, 2021" तैयार किया और वितरित किया है।

****